डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद (उ0प्र0)

संख्या : लो0अ0वि0 / सम्ब0 / 2014 / 2095

दिनांक : 12.11. 2014

सेवा में,

प्रबन्धक,
बाबा राम नाथ स्मारक महाविद्यालय,
बिहामदपुर, आशापार, अम्बेडकरनगर।

विषय : शैक्षिक सत्र 2014–15 से महाविद्यालय को बी0ए0 पाठ्यक्रम के संचालन हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध मे।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक उच्च शिक्षा अनुभाग–6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्याः 1102/सत्तर–2–2014–97/2014 दिनांकः 01 अगस्त, 2014 के द्वारा शैक्षिक सत्र 2014–15 हेतु नवीन महाविद्यालयों/पूर्व संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम–14 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पूर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया गया है, के क्रम में दिनांक 12.09.2014 को सम्पन्न विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद की बैठक के मद संख्या–13 पर लिये गये निर्णय के आलोक में **बाबा राम नाथ स्मारक महाविद्यालय, बिहामदपुर, आशापार, अम्बेडकरनगर** को स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत **स्नातक स्तर पर कला संकाय** के अन्तर्गत **हिन्दी, संस्कृत, भूगोल, गृहविज्ञान, समाजशास्त्र, प्राचीन इतिहास एवं राजनीतिशास्त्र विषयों** को संचालित किये जाने हेतु निम्नलिखित कमियों एवं प्रतिबन्धों के अधीन दिनांक 01.07.2014 से तीन वर्षो हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है–

1. महाविद्यालय/संस्था प्रपत्र "बी" में उल्लिखित समस्त कमियों यथा–शिक्षकों की नियुक्ति का प्रमाण पत्र, प्राचार्य एवं पूर्व के अध्यापकों की नियुक्ति एवं बैंक खाते का प्रमाण संलग्न न होने सम्बन्धी कमियों को पूर्ण कर लेगा अन्यथा अगले शैक्षिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
2. महाविद्यालय/संस्था द्वारा उपरोक्त इंगित सभी कमियों एवं शर्तों का निराकरण एवं माह के अन्दर करते हुए विश्वविद्यालय को शपथ पत्र के माध्यम से सूचित किया जायेगा कि महाविद्यालय द्वारा समस्त कमियों को पूरा कर लिया गया है ।
3. महाविद्यालय/संस्था द्वारा सम्बद्धता प्राप्त की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी मानको को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
4. जिन संस्थानों/महाविद्यालयों के सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता की पूर्वानुमति के निर्गत आदेशों में इंगित कमियों यथा–प्राभूत का नवीनीकरण, अग्निशमन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण व एन0बी0सी0 प्रमाण–पत्र सक्षम स्तर से निर्गत न होने की कमी का निराकरण कक्षायें प्रारम्भ होने से पूर्व कराया जाय तथा विश्वविद्यालय उक्त महाविद्यालय के सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करते हुए उपरोक्त कमियों की पूर्ति से सम्बन्धित अभिलेख महाविद्यालयों से एक माह में प्राप्त कर लेगा। संस्था विश्वविद्यालय के

गीता यादव
(प्रबन्धक)
बाबा राम नाथ स्मारक महाविद्यालय
बिहामदपुर आशापार अम्बेडकर नगर

संस्थान / महाविद्यालय, सम्बद्धता की शर्ते निरन्तर पूरी कर रहा है।

5. महाविद्यालय / संस्था शासनादेश संख्याः 2851 / सत्तर–2–2003–16(92) / 2002 दिनांक 2 जुलाई, 2003 मे उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय मे समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किये जाने वाले मानकों तथा शासन द्वारा निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों एवं दिये जाने वाले समस्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी।
6. महाविद्यालय / संस्था विश्वविद्यालय की परिनियमावली / अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नही किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
7. महाविद्यालय / संस्था को सम्बद्धता आदेश प्रबन्धतंत्र द्वारा प्रमाणित प्रपत्रों एवं सूचनाओं के आधार पर जारी किया जा रहा है। प्रमाणित पत्रों / सूचनाओं के असत्य पाये जाने की दशा में महाविद्यालय को प्रदत्त सम्बद्धता स्वतः समाप्त हो जायेगी।
8. शासनादेश के अनुसार अध्यापको की नियुक्ति, अनुबन्ध पत्र एवं बैंक के माध्यम से वेतन का भुगतान तथा सी0पी0एफ0 की कटौती शासनादेश के अनुसार सुनिश्चित की जायेगी।
9. अनुमोदित अध्यापकों का बायोडाटा, अनुबन्ध पत्र वेतन भुगतान का विवरण वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें जिससे विश्वविद्यालय द्वारा उनका भौतिक सत्यापन किया जा सके एवं निर्देशित किये जाने पर उन्हे विश्वविद्यालय में उपस्थित करना होगा।

भवदीय

कुलसचिव

पृश्ठांकन संख्या व दिनांकः उपरोक्त

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1 परीक्षा नियन्त्रक।

2 प्रोग्रामर, ई0डी0पी0 सेल को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त प्रति विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

कुलसचिव